प्रकरण संख्या 04 / 2014 RCMS ID-2016 / 00041 ता0रजू 20.08.2014

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

निरंजन पुत्र चौबे उम्र 62 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम पहाडी(गुडला) तहसील करौली जिला करौली (राज0) — अपीलाण्ट

बनाम

1. लक्खीराम पुत्र भौंदू उम्र 80 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कासीरामपुरा तहसील करौली जिला करौली (राज0)
2. भू–आबंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपजिला कलक्टर करौली

— रेस्पोण्डेण्ट्स

प्रार्थना पत्र धारा 14 राजस्थान कृषि भूमि आबंटन नियम 1970

निर्णय

दिनांक 05.11.2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14(4) के तहत पेश कर अवगत कराया गया है कि आराजी खसरा नंबर 2239 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित ग्राम गुडला तहसील करौली में से रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 21.08.1972 का बताते हुऐं प्रार्थी के विरूद्ध वादपत्र न्यायालय उपजिला कलक्टर करौली में प्रस्तुत किया जबकि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त दिवस को भारतीय सेना (फौज) में कार्यरत था और उसका भूमि पर कब्जा उक्त दिवस को नही था खसरा नंबर 2239 की भूमि में से 5 बीघा भूमि उक्त लक्खीराम को आबंटित नही हुई थी ऐसी जानकारी ग्रामीण जन ने प्रार्थी को दी थी परन्तु उक्त आवंटन दिनांक 21.08.1972 का रिकार्ड नही मिल पाने से कार्यवाही नही की जा सकी थी। अप्रार्थी सं. 1 के हक में भूमि खसरा नंबर 2239 की आबंटन नही हुई थी बल्कि प्रार्थी सं. 1 ने तहसीलदार करौली से असत्य, निराधार निर्णय दिनांक 12.06.1990 बताकर गैर खातेदारी नामांतरकरण संख्या 872 दिनांक 04.08.1990 के दिवस तस्दीक करा लिया है जो प्रारम्भतः शून्य आदेश दिनांक 12.06.1990 है जो बिना आधार है। दिनांक 21.08.1972 के दिवस लक्खीराम के हक में खसरा नंबर 2239 की भूमि का आबंटन नही हुआ है बल्कि खसरा नंबर 2004 की भूमि रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का आबंटन हुआ है। इस प्रकार उक्त लक्खीराम ने एवं 12.06.1990 के दिवस कार्यरत तहसीलदार राणा प्रताप भसीन ने राजस्थान राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने की बदनियति से आपस में साजिश करकर मिलकर राजस्व रिकार्ड में प्रबंधन करकर कूट रचित तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाकर गैर खातेदारी व खातेदारी नामांतरकरण तैयार कराकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में गलत तौर पर प्रविष्टी करा ली हे। जिनसे राजस्थान राज्य को नुकसान कारित हुआ है राजस्व रिकार्ड में फर्जी दस्तावेज बनाकर हेराफेरी की है एवं इन फर्जी कूट दस्तावेज तैयार कर उपयोग किया है। प्रार्थी के विरूद्ध झूठा बाद खातेदार बनकर लक्खीराम ने अप्रार्थी के विरूद्ध पेश किया है। इस प्रकार धारा 420 एवं 467–471 भारतीय दण्ड संहिता का भी अपराध कारित किया गया है। इस संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा समूचित कार्यवाही भी किया जाना न्यायोचित है एवं उक्त आवंटन तथाकथित बताया गया वहक अप्रार्थी संख्या 1 अपास्त किया जावें एवं नामांतरकरण संख्या 872 एवं उसके बाद हुये अन्य नामांतरकरण अपास्त किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड आफ राईटस में किये गये इन्द्राज जो निराधार है कूटरचित

एवं फर्जी है। उनको हटाया जाकर भूमि को सिवायचक दर्ज कराई जाना न्यायोचित है। यह स्थिति न्यायालय हाजा के समक्ष आई है। अप्रार्थी नं. 1 के हक में खसरा नं. 2239 की भूमि का आबंटन नही हुआ है बल्कि 21.08.1972 के दिवस खसरा नंबर 2004 की भूमि का आवंटन हुआ है। इस प्रकार नामांतरकरण संख्या 872 दिनांक 04.081990 पूर्णतया शून्य है, प्रभावहीन है एवं उसके बाद जो भी अन्य नामांतरकरण हुये है इन्द्राज जमाबंदी हुये है वह समस्त शून्य है, प्रभावहीन है प्रारम्भतः शून्य एवं प्रभावहीन अवैध कार्य एवं गठित दस्तावेज को चुनौती दिये जाने की विधि मे कोई मियाद नही होती है। वैसे भी धारा 14 के प्रार्थना पत्र के संबंध में न्यायालय को ऐसे आवंटन के संबंध में वैधता अवैधता को स्वतः अवलोकन कर कार्यवाही करने का अधिकार अधिनियम में दिया हुआ है। प्रार्थी द्वारा इस आवेदन के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 इस अवैध कार्यवाही से प्रार्थी को भी प्रताडित कर रहा है। प्रार्थी को झूठी मुकदमेंबाजी करकर परेशान कर रहा है। इसलिये प्रार्थी को यह आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक आया है। आवेदन के साथ आदेश तहसीलदार करौली दिनांक 12.06.1990 की धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही में दिया गया है। असल रिकॉर्ड राजस्व विभाग करौली में है। आवंटन पट्टा दिनांक 21.08.1972 की प्रमाणित प्रतिमय आवेदन एवं रिपोर्ट आवंटन सलाहकार समिति के प्रस्तुत है। अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन व्यक्ति भी नही रहा है। प्रार्थी ने दिनांक 02.06.2014 के दिवस टाईप कराकर आवेदन रजिस्टर्ड पोस्ट से जिला कलक्टर करौली को किया है एवं प्रतिलिपी जिला पुलिस अधीक्षक करौली को भी रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी गई है जो उनको प्राप्त हो चुका है परन्तु अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नही की गई है ऐसी स्थिति में न्यायालय की शरण मे यह आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक आया है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई एवं जिला अभिलेखागार करौली से आवंटन की पत्रावली प्राप्त की गई। अप्रार्थी नं. 1 जरिये वकालानतन उपस्थित आया किन्तु किसी प्रकार का कोई जबाव पेश नही किया गया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी ने अपने बहस कथन में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि आराजी खसरा नं. 2239 के रकबे में से 5 बीघा भूमि अप्रार्थी नं. 1 को दिनांक 31.08.1972 में आबंटन बताकर न्यायालय उपजिला कलक्टर करौली में प्रस्तुत किया गया था जो भूमि अप्रार्थी नं. 1 को आबंटन नही हुई है जो भी कार्यवाही हुई है वह विद्यि विरूद्ध है तहसीलदार करौली द्वारा बिना किसी आधार के अप्रार्थी नं. 1 के हक में गलत तरीके से नामांतरकरण संख्या 872 दिनांक 04.08.1990 स्वीकार किया गया है। दिनांक 21.08.1972 के दिवस लक्खीराम के हक में कोई आवंटन नही हुआ है बल्कि खसरा नं. 2004 में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि आबंटन हुई है तथा भूमि पर कब्जा नही है। सभी प्रकार की कार्यवाही बिना आधार, कूटरचित एवं फर्जी है उनको हटाया जाकर भूमि को सिवायचक दर्ज कराया जावें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

वकील अप्रार्थी ने बहस में कथन किया है कि जो नामांतरकरण तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है वह सही है आबंटन शर्तो के पूर्ण पालना करने के बाद ही गलती को शुद्ध करते हुये दर्ज किया गया है। आबंटन नियमानुसार सही हुआ है। भूमि पर आबंटी का कब्जा है। यदि आराजी खसरा नंबर गलत था तो उसे शुद्ध करके ही आबंटन के आदेशानुसार नामांतरकरण दर्ज किया गया है साथ ही इस संबंध में एक

दावा न्यायालय सहायक कलक्टर करौली में भी विचाराधीन है। अंत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं आबंटन पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने पर पाया गया है कि अप्रार्थी नं. 1 लक्खीराम पुत्र भौंदू जाति गुर्जर निवासी काशीरामपुरा तहसील करौली को ग्राम गुडला के खसरा नंबर 2004 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 21.08.1972 को उपखण्ड अधिकारी करौली की अध्यक्षता में आबंटन सलाहकार समिति के समक्ष आबंटन की गई थी उसी अनुसार भूमि पर आबंटी को कब्जा देने की कार्यवाही की गई थी जहां पर नामांतरकरण संख्या 872 दिनांक 04.08.1990 दर्ज किया गया है उसमें आराजी खसरा नंबर 2239 में से 5 बीघा भूमि का आबंटन दर्ज करते हुये बताया गया है जबकि अप्रार्थी नं. 1 को खसरा नंबर 2004 मे से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि आबंटित हुई है जहां पर तहसीलदार करौली ने अपने निर्णय दिनांक 12.06.1990 में जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जो निर्णय पारित किया गया है वो विधि विरूद्ध है। किसी भी आबंटी को जो भी रकबा आराजी में से आबंटन होगा उसे दुरूस्ती करने का अधिकार तहसीलदार को नही होकर आबंटन सलाहकार समिति को है अन्य किसी को नही है। तहसीलदार करौली ने दिनांक 12.06.1990 को जो निर्णय पारित किया गया है उसी निर्णय के अनुसार यह नामांतरकरण 04.08.1990 में दर्ज किया गया है जो कानूनन गलत था। इस प्रकार से आबंटन आराजी खसरा नंबर एवं रिकॉर्ड में दर्ज खसरा नंबर दोनो ही विरोधाभासी है आबंटन नियमों की शर्तो के पालना नही हुई है जो अंकन किया गया है वह गलत है। अप्रार्थी नं. 1 के हक में मुताबिक आबंटन पत्रावली में वर्णित आराजी अनुसार अमल नही होने पर भूमि को सिवायचक में दर्ज किया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के आबंटन 1970 के उपनियम 14(4) को स्वीकार किया जाता है तथा आराजी खसरा नंबर 2239 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम गुडला तहसील करौली को सिवायचक (राजकीय खाता में) दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार करौली को निर्देश दिये जाते है कि नामांतरकरण संख्या 872 दिनांक 04.08.1990 के बाद जो भी इन्द्राज हो उन्हें समाप्त करते हुये भूमि पर कब्जा संभालें। निर्णय प्रति तहसीलदार करौली को भिजवाई जावे साथ ही आबंटन की पत्रावली जिला अभिलेखागार करौली को निर्णय प्रति के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.11.29 14:22:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: